न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 2462/2015

वादीया :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. लाडूड़ी पत्नि खेमाराम		1. राजस्थान सरकार जरिये
जाति-कुमावत, निवासी-बलून्दा		तहसीलदार, जैतारण
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956,

तारीख रजू:.19.06.2015

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादीया।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 19/06/2015

राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-टूंकड़ा में वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 201, 209, 387, 214 कुल किता-4 कुल रकबा 44-07 बीघा की आई हुई हैं, जो की वादीया के नाम खातेदारी एवं कब्जा काश्त सुदा हैं। जिसका उपयोग / उपभोग वादीया अपने बाप दादा के वक्त से करता चला आ रहा हैं। उपरोक्त खसरा नम्बरान् की भूमि की हिस्सा-कस्सी बाबत् कोई तनाजा नहीं हैं न ही किसी प्रकार का कोई विवाद ही हैं। वादीया ने अपने हिस्से में खाद बीज डालकर भूमि को उपजाऊ बनाया हैं तथा भूमि को और खेती लायक बनाना चाहता हैं तथा अपनी भूमि पर बैंक से ऋण लेना चाहती हैं। इसलिए उसने पटवारी से जमाबन्दी ली और बैंक में ऋण हेतु आवेदन किया, तो पता चला की वादीया का नाम लाडुडी पत्नि दोलाराम गलत अंकित हो गया हैं तथा वास्तविक नाम लाडुडी पत्नि खेमाराम में भिन्नता के कारण उसे ऋण नहीं दिया गया। वादीया का गलत नाम लाडुडी पत्नि दोलाराम के स्थान पर दुरूस्त कर सही नाम लाडुडी पत्नि खेमाराम जमाबन्दी में दर्ज किया जाये। वादी का सही नाम लाडुडी पत्नि खेमाराम जाति-कुमावत निवासी-बलून्दा जिसके दस्तावेज वाद-पत्र के साथ प्रस्तुत हैं, जो प्रदर्शित हैं। बिनायवाद दिनांक 18/05/2015 को पैदा हुआ। जब पटवारी से जमाबन्दी की नकल बैंक में ऋण हेतु आवेदन किया जो क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में हैं।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने जाहिर किया हैं कि वादीया लाडुडी पत्नि दोलाराम नाम गलत इन्द्राज किया गया हैं। उक्त विवादित आराजी की भूमि में वादीया का नाम लाडुडी पत्नि खेमाराम दर्ज गलत नाम के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीया का वास्तविक नाम लाडुडी पत्नि खेमाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा-ए-आम लोक अदालत शिविर-बलून्दा में जानकारी भी प्राप्त की गई। दस्तावेजात पहचान-पत्र संख्या RJ/21/159/213282 दिनांक 31/03/95, आधार कार्ड संख्या 556939435277 एवं राशन कार्ड

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

संख्या 1921 सन् 2001 अनुसार लाडुडी पत्नि दोलाराम गलत रूप से दर्ज होना तथा वादीया का वास्तविक नाम लाडुडी पत्नि खेमाराम होना बखूबी साबित हैं। जिससे वादीया का वाद माफिक तहसीलदार, जैतारण की साक्ष्य सबूत के अनुसार वाद स्वीकार किया जाना तथा वादीया के गलत दर्ज नाम लाडुडी पत्नि दोलाराम जाति-कुमावत, निवासी-बलून्दा के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक सही नाम लाडुडी पत्नि खेमाराम दुरूस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेजात अनुसार वादीया का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 201, 209, 387, 214 कुल किता-4 कुल रकबा 44-07 बीघा की भूमि में वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीया के गलत दर्ज नाम लाडुडी पत्नि दोलाराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम लाडुडी पत्नि खेमाराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर साभिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 19/06/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र दूंकड़ा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादीया :- 1. लाडूड़ी पत्नि खेमाराम जाति-कुमावत, निवासी-बलून्दा तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)	बनाम	प्रतिवादी :- 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

मु0न0 :रा0वा0 स0: 2462/2015

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956,

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादीया मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेजात अनुसार वादीया का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 201, 209, 387, 214 कुल किता-4 कुल रकबा 44-07 बीघा की भूमि में वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीया के गलत दर्ज नाम लाडुडी पत्नि दोलाराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम लाडुडी पत्नि खेमाराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....

.-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र टूंकड़ा में आज तारीख 19/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

[मोहर: उपखण्ड अधिकारी मोहर जैतारण]

मुद्दई	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील	02	00
खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		
मिजानः-	05	00

मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		
मुत्फरिक		
मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner